झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
पंचम (बजट) सत्र
वर्ग–01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 24 फाल्गुन 1942 (श0) / 15 मार्च, 2021 (ई0) को

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभागों को भेजी गई सा0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
447	–ग–49–	श्री मथुरा प्रसाद महतो,	चिकित्सकों का पदस्थापन	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	03.03.2021
448	–का–18–	श्री सोनाराम सिंकु,	सार्वजनिक अवकाश की घोषणा	कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	08.03.2021
449	–मनि–01 –	श्री चन्देश्वर प्रसाद सिंह,	कार्यरत स्थिति में रखना	मंत्रिमण्डल निर्वाधन	08.03.2021
450	–ग–54–	श्री उमाशंकर अकेला,	पुलिस ओ0पी0बनाना	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	05.03.2021
451	–का–21–	श्री ढुलू महतो,	स्थानांतरण के संबंध में	कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	08.03.2021
452	–ग–58–	श्री चमरा लिण्डा,	दिशा निर्देश जारी करना	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	08.03.2021
453	–म–01–	श्री चमरा लिण्डा,	प्राथमिकी दर्ज करना	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी	08.03.2021
454	–ग–56–	श्री कमलेश कुमार सिंह,	अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराना	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	07.03.2021
455	–ग–41–	श्री ढुलू महतो,	दर्ज मुकदमों को वापस लेना	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	26.02.2021
456	–ग–61–	श्री समीर कुमार मोहंती,	जमीन का सदुपयोग	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	08.03.2021
457	–योवि–05–	श्री जयप्रकाश भाई पटेल,	अनुशंसा सुनिश्चित कराना	योजना सह–वित्त	08.03.2021

कृ0पृ0उ0/

1.	2.	3.	4.	5.	6.
458	ग–13	श्री मनीष जायसवाल,	उच्च स्तरीय जाँच कराना	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	26.02.2021
459	ग–59	श्री जयप्रकाश भाई पटेल,	अनुग्रह राशि का भुगतान कराना	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	08.03.2021
460	का–16	श्री अमित कुमार मंडल,	परीक्षा का परिणाम प्रकाशित करना	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	05.03.2021
461	ग–55	डॉ0कुशवाहा शशिभूषण, मेहता	मुआवजा दिलाना	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	05.03.2021
462	ग–45	डॉ0 इरफान अंसारी,	मुकदमा को समाप्त करना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	03.03.2021
463	ग–60	श्री दीपक बिरुवा,	गिरफ्तार करना	गृह,कारा एवं आपदा आपदा प्रबंधन	08.03.2021
464	ग–52	श्रीमती पुष्पा देवी,	मण्डल कारा स्थापित करना	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	05.03.2021
465	ग–53	श्री सरयू राय,	जाँच को पूरा कराना	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	05.03.2021
466	योवि–03	श्री अमित कुमार मण्डल,	कर्ज को माफ करना	योजना–सह–वित्त	03.03.2021
467	का–08	श्री मनीष जायसवाल,	लाभ देना	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	26.02.2021
468	ग–50	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह,	पुलिस बैरेक व आवास का निर्माण	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	03.03.2021
469	का–22	श्री बैद्यनाथ राम,	प्रोन्नति देना	कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	08.03.2021
470	ग–51	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह,	मॉडल थाना बनाना	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	03.03.2021
471	ग–35	श्री नवीन जायसवाल,	दूसरी मेधा–सूची तैयार करना	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन।	26.02.2021

राँची।
दिनांक–15 मार्च,2021 ई0।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–01/2021–1261/वि0स0,राँची,दिनांक– 12/03/2021

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/2021
(धरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।
कृ0पृ0उ0/

* स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से स्थानांतरित।
\# कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) से स्थानांतरित।
Φ – योजना–सह–वित्त विभाग से स्थानांतरित।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–01/2021–1261/वि0स0,रांची,दिनांक– 12/03/2021

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय एवं अपर सचिव, प्रश्न तथा संयुक्त सचिव प्रश्न को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–01/2021–1261/वि0स0,रांची,दिनांक– 12/03/2021

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

राम/

(447)

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–49 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग सेंट्रल जेल में लगभग 2200 कैदी है ;	स्वीकारात्मक। दिनांक–04.03.2021 के प्रतिवेदन के अनुसार कुल–2092 बंदी केन्द्रीय कारा, हजारीबाग में संसीमित है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित जेल में लगभग 85 प्रतिशत आजीवन कारावास से संबंधित कैदी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। दिनांक–04.03.2021 के प्रतिवेदन के अनुसार लगभग–56% आजीवन कारावास से संबंधित बंदी केन्द्रीय कारा, हजारीबाग में संसीमित है।
3	क्या यह बात सही है कि कैदियों के ईलाज के लिए केवल एक ही चिकित्सक पदस्थापित है, जिससे कैदियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित जेल में कैदियों की संख्या के अनुरूप एक महिला चिकित्सक एवं दो पुरूष चिकित्सक को पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	गृह विभाग के संकल्प संख्या–6846 दिनांक–13.12.2016 द्वारा काराओं में संविदा के आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु नियमावली गठित है। वर्ष 2019 में विज्ञापन प्रकाशित किए जाने के पश्चात् मात्र 03 चिकित्सकों द्वारा योगदान किया गया, जिनमें से 01 चिकित्सक ने बाद में त्यागपत्र दे दिया। शेष 02 में से 01 चिकित्सक सम्प्रति लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग तथा 01 चिकित्सक मंडल कारा, धनबाद में पदस्थापित हैं। इन चिकित्सकों के मानदेय वृद्धि की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इनके मानदेय में वृद्धि के फलस्वरूप पुनः संविदा पर चिकित्सकों के नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। कारा निरीक्षणालय, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–559 दिनांक 04.03.2021 द्वारा असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग को लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा हजारीबाग में 01 (एक) महिला चिकित्सक एवं 02 (दो) पुरूष चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति हेतु निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–09/2021–1503/ राँची, दिनांक– 13/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–889, दिनांक–03.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(448)

माननीय स०वि०स० श्री सोनाराम सिंकू द्वारा दिनांक 15.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का–18 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत कोल्हान एवं पोड़ाहाट क्षेत्र के ऐतिहासिक घटनाक्रम में कोल–विद्रोह (वर्ष–1831–32) ई० एवं सेरेंगसिया घाटी के महान योद्धा सरदार पोटो हो को अंग्रेजी हुकूमत ने 1 जनवरी, 1838 ई० को जगन्नाथपुर पश्चिमी सिंहभूम में विशाल जन समूह के समक्ष फांसी दी थी;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। तिथि के संबंध में अधिकारिक जानकारी नहीं है। सेरेंगसिया शहीद स्मारक समिति के द्वारा प्रतिवर्ष 02 फरवरी को सेरेंगसिया शहीद स्मारक स्थल पर शहादत दिवस का आयोजन किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि आजाद भारत में 1 जनवरी 1948 ई० को खरसावाँ गोली काँड की घटना घटी जहाँ प्रत्येक नव वर्ष को बलिदान दिवस के रूप में मनायी जाती है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित घटना को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के साथ ही प्रत्येक नव वर्ष में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुरूप, राज्य के संदर्भ में विषयवस्तुओं को सम्मिलित करते हुए कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यपुस्तकें विकसित की गयी हैं, जिन्हें राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में लागू किया गया है। कक्षा 9 से 12 में एन०सी०ई०आर०टी० का पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें का व्यवहार किया जाता है। कक्षा 8 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक में "उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज" पाठ के खंड "आदिवासी विद्रोह" में कोल–विद्रोह का जिक्र किया गया है, परन्तु इस संबंध में विस्तारित वर्णन नहीं है। राज्य के प्रादेशिक स्तर के पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 6–8 तक के इतिहास विषय में भारत की स्वाधीनता से पूर्व घटित घटनाओं का ही वर्णन किया गया है, जिसके फलस्वरूप खरसावाँ गोली कांड की घटना का सन्दर्भ इन पाठ्यपुस्तकों में उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में NCERT द्वारा तैयार की जा रही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुरूप राज्य के पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा करते हुए आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाना है। नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा उपलब्ध होने पर इसके अनुरूप राज्य के पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा करने के दौरान सम्बंधित विषयवस्तुओं को पाठ्यपुस्तकों में सम्मिलित करने की कार्यवाही की जा सकती है। 2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या–6751 दिनांक–24.12.2020 द्वारा वर्ष 2021 में झारखण्ड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश अधिसूचित है। प्रत्येक नव वर्ष (01 जनवरी) को प्रश्न क्र०–1 एवं 2 में वर्णित घटनाओं के आलोक में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/ज्ञा०वि०स०–15–17/2021 का.–1642 /राँची, दिनांक–14/03/2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1140 दिनांक–08.03.2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/21

(ओम प्रकाश शाह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

449

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग।

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, माननीय स०विधा०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक–15.03.2021 को पूछा गया तारांकित प्रश्न सं0–मंत्रि–01 का उत्तर।

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है झारखण्ड राज्य में मुख्यालय से लेकर ब्लॉक अंचल कार्यालयों में प्रोग्रामर/कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर कर्मी वर्षों से कार्यरत है ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग अन्तर्गत मुख्यालय को छोड़कर अन्य अधीनस्थ निर्वाचन कार्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटर का पद सृजित नहीं है, तथापि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देश के आलोक में निर्वाचन संबंधी कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम संख्या में अधीनस्थ निर्वाचन कार्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटर कर्मियों की सेवा ली जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार ने 10 वर्ष कार्य पूर्ण करने वाले कर्मी की सेवा स्थायी करने का प्रावधान किया है ?	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है वर्त्तमान में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड द्वारा Selection of Manpower Agency to Provide Various Election Office Under Cabinet (Election) Department झारखण्ड के द्वारा टेंडर निर्गत करके वाह्य एजेंसी के माध्यम से उपरोक्त पदों पर बहाली करेगी, जिससे पहले से कार्यरत कई कर्मी की सेवा समाप्त हो जायेगी और पारिश्रमिक भी कम दिया जायेगा ?	आंशिक स्वीकारात्मक। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–5535, दिनांक–12.07.2019 द्वारा झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के संबंध में दिये गये निर्देशों के आलोक में विभाग द्वारा प्रतिवेदन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजा गया है तथा शेष अन्य कर्मी, जो उक्त सेवा नियमतीकरण नियमावली से आच्छादित नहीं है, को वाह्य स्त्रोत से सेवा प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वाह्य एजेंसी को कार्य देने के बदले पहले से कार्यरत कर्मी को कार्यरत स्थिति में रखना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका 3 के अनुरूप।

ज्ञापांक–01/मि0(वि0स0)–18–04/2021/533 राँची/दिनांक–13/03/2021

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1114, दिनांक–08.03.2021 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

13/03/2021

(प्रदीप कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

(450)

श्री उमाशंकर अकेला, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–54 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग जिला के बरही थाना के अन्तर्गत भंडारो पंचायत, कोल्हुआ कला पंचायत, डपोक पंचायत, गुड़ियों पंचायत तथा मलकोको पंचायत की दूरी बरही थाना से लगभग 30 से 40 कि०मी० की दूरी के कारण इन पंचायत के लोगों को तत्काल पुलिस प्रशासन से सहायता नहीं मिल पाता है :	आंशिक स्वीकारात्मक। हजारीबाग जिला के बरही थानान्तर्गत भंडारो पंचायत, कोल्हुआ कला पंचायत, डपोक पंचायत, गुड़ियों पंचायत तथा मलकोको पंचायत की दूरी बरही थाना से लगभग 30 से 40 कि०मी० होने के बावजूद भी इन पंचायत के लोगों को तत्काल पुलिस प्रशासन से आवश्यक सहायता उपलब्ध करायी जाती है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गुडियो विजैया पंचायत में पुलिस ओ०पी० बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	हजारीबाग जिला के बरही थानान्तर्गत गुडियो विजैया पंचायत में पुलिस ओ०पी० बनाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–15 / 2021–1511 / राँची, दिनांक– 15/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–996, दिनांक–05.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

451

श्री दुलू महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 15.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का–21 का प्रश्नोत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि किसी भी विभाग में प्रशासनिक पदाधिकारी को लगातार तीन साल से अधिक समय तक पदस्थापित नहीं रखना है ;	अस्वीकारात्मक । झारखण्ड प्रशासनिक सेवा नियमावली, 2015 के प्रावधान के अनुसार सेवा के पदाधिकारियों के एक स्थानांतरण/पदस्थापन का कार्यकाल सामान्यतः 03 वर्षों का होगा। सामान्यतः 03 वर्ष की कम अवधि में किसी पदाधिकारी को किसी पदस्थापन से स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।
2.	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण विकास (ग्रामीण कार्य मामले) विभाग के संयुक्त सचिव, श्री विनोद कुमार चौधरी लगातार छः साल से पदस्थापित है ;	स्वीकारात्मक। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 11007 दिनांक 28.12.2015 के द्वारा श्री विनोद कुमार चौधरी को संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पदस्थापित किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्री विनोद कुमार चौधरी के साथ–साथ पाँच साल से उपर कार्यरत ग्रामीण कार्य विभाग मुख्यालय में पदस्थापित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का स्थानान्तरण करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका– 1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है। कंडिका–1 में वर्णित स्थानांतरण की कालावधि सामान्यतया है। सरकार सचेष्ट है तथा आवश्यकतानुरूप कार्यहित में पदाधिकारियों के स्थानांतरण/ पदस्थापन का विचार रखती है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 3/विधानसभा–05–04/2021 का. 1560 / राँची, दिनांक 10 मार्च, 2021

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0– 1141 वि.स. दिनांक 08.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/2021
(राजकुमार मण्डल)
सरकार के उप सचिव।

(152)

श्री चमरा लिण्डा, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–58 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 5 में प्रावधान है कि इससे प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस धारा में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय विधि पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति या उस विधि द्वारा विहित किसी विशेष पर प्रभाव नहीं डालेगी अर्थात् इस धारा के तहत विशेष अधिनियमों पर इस संहिता का प्रभाव तब तक नहीं पड़ेगा जब तक उसमें इस बाबत कोई उपबंध नहीं हो ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि अनु०जाति/अनु०जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 यथा संशोधित अधिनियम 2015 एक विशेष कानून है एवं इसमें द०प्र०सं० की धारा 41ए के प्रावधान लागू नहीं होंगे ;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि अनुजाति/अनु०जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत दर्ज मामलों में जाँच अधिकारी के द्वारा अभियुक्तों को द०प्र०सं० की धारा 41ए का लाभ दिया जा रहा है ;	वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कंडिका (4) में उल्लेखित कांड में अभियुक्त को 41A का नोटिस दिया गया था।
4	क्या यह बात सही है कि उक्त अधिनियम के तहत रातू थाना कांड सं०–289/2020 में आरोप की पुष्टि के बाद भी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया है ;	स्वीकारात्मक। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार रातू थाना काण्ड सं०–289/20, दिनांक–18.09.2020, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा–3 (1)(f)(g) के प्राथमिकी अभियुक्त 1. द्वारिका प्रसाद, पे०–बासुदेव प्रसाद एवं 2. अनुपम प्रसाद, पे०–द्वारिका प्रसाद, सा०–संजय कॉलोनी, थाना–रातू, जिला–राँची को द०प्र०सं० की धारा–41A के अंतर्गत नोटिस निर्गत किया गया। तत्पश्चात दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र सं०–276/20, दिनांक–15.11.2020 माननीय न्यायालय में समर्पित किया गया है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनु०जाति/अन०जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत दर्ज मामलों में अभियुक्तों को द०प्र०सं० की धारा 41ए के प्रावधानों का लाभ नहीं देने हेतु अधीनस्त अधिकारियों को दिशा निदेश जारी करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मामला माननीय न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। न्याय निर्णय के पश्चात विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–13/2021–...1517.../ राँची, दिनांक– 15/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1137, दिनांक–08.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

F:\Sandeep 2017\Sec-7\Sandeep Vidhansabha\Chandan D\Question (Budget) 21.doc 9-15

(453)

श्री चमरा लिण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 15.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–म0–01 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि सरकार के आदेश से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में रातू अंचल के रातू मौजा स्थित प्लॉट न0–3106 एवं 3107 रकवा 1.86 एकड़ तथा बड़ागांई अंचल के गाड़ी मौजा स्थित प्लॉट न0–54, रकवा 1.87 एकड़ भूमि की अवैध अंतरण की जाँच हेतु पी0ई0 सं0–37/2013 दर्ज किया गया था ?	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि जाँचोपरान्त उक्त मामले से संबंधित अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया है ?	स्वीकारात्मक विषयगत मामला सरकार के विचाराधीन है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पी0ई0 न0–37/2013 में प्राथमिकी दर्ज करने का विचार रखती है ? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी)।

ज्ञापांक–02/नि0वि0/विधान सभा प्रश्न–01/2021 363 राँची, दिनांक 13/03/2021

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को 200 प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/2021
(रवीन्द्र रंजन)
सरकार के अवर सचिव।

(454)

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–56 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत हरिहरगंज प्रखण्ड में अग्निशमन केन्द्र नहीं है ?	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि हरिहरगंज प्रखण्ड में आगजनी की घटना घटित होने के बाद अग्निशमन की गाड़िया 75 किलोमीटर दूर मेदिनीनगर अथवा 50 किलोमीटर दूर हुसैनाबाद से मंगानी पड़ती हैं, जिससे गाड़ियों को ससमय नहीं पहुंचने के कारण भुक्तभोगी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है ?	आंशिक स्वीकारात्मक। अग्निशामालय डाल्टनगंज (मेदिनीनगर) एवं हुसैनाबाद से अग्निशमन वाहन एवं दस्ता ससमय नारायणपुर प्रखण्ड में घटनास्थल पर न्यूनतम समय पर पहुँचकर अग्निशमन का कार्य किया जाता है। अग्निशामालय डाल्टनगंज (मेदिनीनगर) एवं हुसैनाबाद से प्राप्त जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक के अग्निप्रतिवेदन के अनुसार हरिहरगंज प्रखण्ड में एक भी अग्निशमन की घटना घटित नही हुई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पलामू जिले के हरिहरगंज प्रखण्ड में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	अग्निकांड की घटनाओं के मद्देनजर प्रथम चरण में राज्य के अत्यंत संवेदनशील शहरी क्षेत्र एवं नवसृजित अनुमण्डल मुख्यालयों में एवं द्वितीय चरण में राज्य के प्रखण्ड स्तर पर अग्निशामालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है। अनुमण्डल मुख्यालय में अग्निशमन कार्यालय खोले जाने के पश्चात् प्रखण्ड कार्यालय में खोलने की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–05 / विस0–07 / 05 / 2021–1233 / रॉंची, दिनांक– 13/03/2021 ई0।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1064, दिनांक–07.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(455)

श्री दुलू महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–41 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य में लॉकडाउन के दौरान छुटपुट मामलों में हजारों आपराधिक मुकदमें IPC की धारा 188 के तहत पुलिस ने सीधे एफ०आई०आर० दर्ज किया है, जबकि 188 के तहत पुलिस को सीधे एफ०आई०आर० दर्ज करने का कानूनी हक नहीं है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। धारा 188 आई०पी०सी० में वाद, संबंधित लोकसेवक (Public Servant) अथवा उसके अधीनस्थ द्वारा लिखित शिकायत पर दर्ज की जा सकती है।
2	क्या यह बात सही है, कि कोरोना काल में IPC की धारा 188 के तहत दर्ज लगभग ढाई लाख मामले को उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस लेने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ और पंजाब–हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इसी तरह का निर्णय लिया है ;	उत्तर प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, पंजाब सरकार एवं हरियाणा सरकार द्वारा इसके आलोक में पत्राचार किया गया है, प्रतिवेदन अद्यावधि अप्राप्त है।
3	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड में IPC की धारा 188 में दर्ज मामलों ने जनता पर बेवजह मुकदमों का बोझ डाल दिया गया है ;	अस्वीकारात्मक
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कोरोनाकाल में IPC की धारा–188 में दर्ज मुकदमों को उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों की भाँति वापस लेने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय अधिसूचना सं०– 810 दिनांक–18.02.2021 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर वाद SOU MOTU WRIT PETITION (CIVIL) NO. 6/2020 दिनांक– 09.06.2020 को पारित न्यायादेश के कंडिका–35 उप कंडिका–8 *"All concerned States/UTs to consider withdrawl of prosecution/ complaints under section 51 of Disaster management Act and other related offences lodged against the migrant labourers who alleged to have violated measures of Lockdown by moving on roads during the period of Lockdown enforced under Disaster Management Act, 2005"* के आलोक में संबंधित उपायुक्तों/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई संयुक्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 लॉकडाऊन के दौरान 08 जिलों में दायर कुल 30 वाद जिसमें कुल 274 प्रवासी मजदूर सन्निहित है, के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी/अभियोजन को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। अन्य लोगों के संबंध में सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–108/2021–190/ राँची, दिनांक– 13/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–458, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(457)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 15.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–यो0वि0–05 का उत्तर सामग्री

क0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य के सभी जिलों के अतिदुर्गम स्थानों में पुल, पुलिया, पथ निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों को सम्पादित करने हेतु संबंधित जिलों में अनाबद्ध योजना के तहत राशि उपलब्ध करायी जाती है ?	संकल्प सं0 852 (यो0) दिनांक 12.05.2016 के अनुसार जिला योजना अनाबद्ध निधि के अन्तर्गत किसी भी प्रक्षेत्र की आधारभूत संरचना से संबंधित लघु एवं Missing Gap की योजना के कार्यान्वयन का प्रावधान है (संकल्प की प्रति संलग्न)।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनाबद्ध योजना की राशि का व्यय उपायुक्तों द्वारा बिना किसी जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर मनमाने ढंग से योजना चयन की राशि व्यय कर दी जाती है ?	अस्वीकारात्मक। संकल्प सं0 680 (यो0) दिनांक 18.07.2019 के अनुसार उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला योजना कार्यकारिणी समिति से पारित योजनाओं का कार्यान्वयन होता है। जिला योजना समिति (जिसमें जिला के सभी माननीय सांसद एवं माननीय विधायक सदस्य होते हैं) की अगली बैठक में स्वीकृत योजनाओं की सूची सूचनार्थ प्रस्तुत करना प्रावधानित है (संकल्प की प्रति संलग्न)।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनाबद्ध योजना राशि के व्यय में स्थानीय सांसद, विधायकों की अनुशंसा सुनिश्चित कराने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	लागू नहीं।

10/3/2021
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(योजना प्रभाग)

ज्ञापांक– 306 (यो0) राँची, दिनांक 10/03/2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को कुल 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/3/2021
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(योजना प्रभाग)

संकल्प

विषय : जिला योजना अनाबद्ध निधि के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन हेतु मार्गनिदेश में संशोधन के संबंध में।

विभागीय संकल्प ज्ञापांक 852 (यो0) दिनांक 12.05.2016 के द्वारा जिला योजना अनाबद्ध निधि से योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन हेतु मूल मार्गनिदेश निर्गत है।

2. मूल मार्गनिदेश की कंडिका 2 में अंकित कि उपायुक्त द्वारा तैयार की गई जिला की वार्षिक योजना में जिला योजना समिति का अनुमोदन प्राप्त कर जिला योजना अनाबद्ध निधि से योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा सकेगा।

3. इस कंडिका में संशोधन किया गया है कि उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला योजना कार्यकारिणी समिति के द्वारा वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति के पश्चात् योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा सकेगा तथा आगामी जिला योजना समिति की बैठक में कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत योजनाओं की सूची जिला योजना समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

4. जिला योजना कार्यकारिणी समिति का स्वरूप मूल मार्गनिदेश की कंडिका–8 में वर्णित है।

5. जिला योजना अनाबद्ध निधि के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन हेतु निर्गत मार्गनिदेशिका की शेष कंडिका यथावत् रहेगी।

6. दिनांक 08.07.2019 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद सं0 16 के रूप में जिला योजना अनाबद्ध निधि के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन हेतु मार्गनिदेश में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

ह0/–
(के0के0 खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– कल्या0/वि0/20/12 680 (यो0) राँची/दिनांक 18/07/19

प्रतिलिपि– माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव /मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सदस्य, राजस्व पर्षद/महानिदेशक, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, /सभी जिला योजना पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/19
अपर मुख्य सचिव

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(योजना प्रभाग)

संकल्प

विषय : जिला योजना अनाबद्ध निधि से योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन हेतु संशोधित मार्गनिदेश।

पृष्ठभूमि:–

पिछड़े क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकता का आकलन स्थानीय जनता करती है। संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के द्वारा पंचायतों एवं नगर निकायों को कार्य एवं शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं। इसी के आलोक में झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2001 के द्वारा पंचायतों को स्पष्ट शक्तियाँ एवं कृत्य प्रत्यायोजित किए गए हैं। राज्य स्तरीय विभिन्न विभागों द्वारा पंचायतों को Fund, Function and Functionaries (3F) का हस्तान्तरण भी किया जा चुका है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार के द्वारा भी पंचायतों को निधि का स्राव प्रारंभ हो चुका है। स्थानीय महत्व के लगभग सभी कार्यक्रमों में परियोजनाओं के चयन के लिए ग्राम आम सभा को सक्षम प्राधिकार के रूप में घोषित किया जा चुका है।

परन्तु, विभिन्न मदों से स्वीकृत एवं कार्यान्वित करायी गई योजनाओं के अनुपयोगी होने के उदाहरण भी बढ़ते जा रहे हैं। ग्राम आमसभा द्वारा चयनित योजनाओं की भौगोलिक पृष्ठभूमि सीमित होने के कारण अन्तरपंचायत योजनाओं या जिलास्तरीय महत्व की आवश्यकताओं पर केन्द्रित होना आवश्यक है। राज्य सरकार सभी जिलों के मानकों में गुणवतापूर्ण सुधार एवं समावेशी विकास की अवधारणा लाने के लिए कटिबद्ध है। ऐसी विशिष्ट आवश्यकताओं को अविलम्ब पूर्ण करने हेतु जिला योजना अनाबद्ध निधि का प्रावधान किया गया है।

जिला योजना का मुख्य उद्देश्य केवल विभिन्न जिलों के बीच विषमता ही नहीं, बल्कि जिलों के अन्दर विभिन्न क्षेत्रों की विषमता को भी दूर करना है। अतएव जिला के अन्दर अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए नई परियोजनाओं के चयन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसी योजनाएँ जिसके द्वारा उत्पादन या उत्पादकता में वृद्धि, नियोजन के अवसर का विस्तार एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की पूर्ति में मदद मिलने की संभावनाओं तथा अन्य स्रोतों से निधि उपलब्ध होने में कठिनाई हो, तो वैसी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए अनाबद्ध निधि से अपेक्षित निधि उपलब्ध करायी जा सकेगी। ऐसा करने से इन योजनाओं में किए गए व्यय का सदुपयोग होगा।

2. स्वरूप:–

योजना का स्वरूप अनाबद्ध होगा। इसके अन्तर्गत लघु एवं Missing Gap की योजना ली जा सकेगी। किसी भी प्रक्षेत्र की आधारभूत संरचना के निर्माण का कार्य लिया जा सकेगा।

पंचायत समितियों द्वारा स्वीकृत योजनाओं की प्राथमिकता सूची, अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने के लिए निधि की आवश्यकता, नई योजनाओं के लिए निधि की उपलब्धता, योजनाओं के संबंध में सरकारी मार्गदर्शन आदि सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखकर उपायुक्त द्वारा जिला की वार्षिक योजना में जिला योजना समिति का अनुमोदन प्राप्त कर जिला योजना अनाबद्ध निधि से योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे।

3. उद्देश्य :–

(क) वर्षों से निर्मित एवं अधूरी पड़ी, परन्तु अनुपयुक्त आधारभूत संरचनाओं को उपयोगी बनाने के लिए Missing Gap की योजना ली जा सकेगी।

(ख) ज्वलंत स्थानीय आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु विशिष्ट व्यक्तियों अर्थात् माननीय मुख्यमंत्री तथा उस जिला के जिला योजना समिति के अध्यक्ष–सह–प्रभारी मंत्री) के भ्रमण के दौरान उनके द्वारा किए गए अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से निम्न उपबंध किए जाते हैं:–

(i) अनाबद्ध निधि अन्तर्गत अपूर्ण/चालू योजनाओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक निधि के उपबंध के पश्चात् शेष उपलब्ध राशि की 115 प्रतिशत राशि की नई परियोजनाएँ ली जा सकती है। नई योजनाओं के लिए इस अधिसीमा की 10 प्रतिशत राशि का उपयोग विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा अनुशंसित योजनाओं के कार्यान्वयन में किया जा सकेगा।

(ii) माननीय मुख्यमंत्री तथा संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री के द्वारा अनुशंसित 25.00 लाख रू0 तक की योजनाओं की स्वीकृति जिला योजना कार्यकारिणी समिति ही कर सकेगी।

(iii) ततपश्चात् ऐसी स्वीकृत परियोजनाओं का अनुमोदन संबंधित जिला योजना समिति के प्रभारी मंत्री से संचिका के माध्यम से प्राप्त कर कार्यान्वयन प्रारंभ किया जा सकेगा।

(iv) जिला योजना समिति की अगली बैठक में ऐसी अनुशंसित एवं कार्यान्वित योजनाओं की सूची प्रस्तुत की जाएगी एवं उन्हें समिति की उक्त तिथि को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित समझा जाएगा।

(ग) शासन तंत्र में जनता का विश्वास अर्जित करने एवं विशिष्ट व्यक्तियों के क्षेत्रभ्रमण के दौरान आकस्मिक रूप से उठे स्थानीय मांग की पूर्ति के लिए यह बदलाव किया जा रहा है।

(घ) वैसे संसाधन विकसित करना जो Missing Gap की हो और अल्प राशि व्यय करने पर योजना उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाय।

(च) नवप्रवर्तन प्रकृति (Innovative) की भी योजनाएँ ली जा सकेगी।

(छ) किसी अन्य योजना से अधिक संसाधन प्राप्त करने के उद्देश्य से सीड मनी के रूप में भी राशि का सदुपयोग किया जा सकेगा, ताकि जिले को अधिक से अधिक सकल संसाधन प्राप्त हो सके।

(ज) किसी अन्य वित्तीय संसाधन से किसी आर्थिक परियोजना विशेष के लिए ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से दिए जानेवाले मार्जिन मनी के रूप में भी इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा, ताकि जिले को प्राप्त होनेवाले सकल संसाधन में बढ़ोतरी हो सके।

(झ) इस राशि का सदुपयोग जिला/पंचायत स्तरीय आर्थिक समिति के बेंचमार्क सर्वे, जिसके द्वारा जिले/पंचायतों का पंचायत डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बेंचमार्क का आकलन करने तथा इसमें होनेवाले वृद्धि/ह्रास का आकलन करने तथा इसके कारणों का पता लगाने के उद्देश्य से किए जानेवाले मूल्यांकन कार्यों के लिए भी राशि का सदुपयोग किया जा सकेगा।

(ट) सामूहिक लाभ की योजना के निर्माण के लिए राशि का सदुपयोग किया जा सकेगा।

(ठ) जिला योजना समिति, जिला के विभिन्न प्रखण्डों में क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रखण्ड/पंचायत अथवा नगरीय क्षेत्रों में महसूस की जा रही आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक योजना का चयन कर इस निधि से कार्यान्वित करा सकती है।

(ङ) जिला योजना के लिए अनाबद्ध निधि, विकास कार्यक्रमों के लिए पूरक स्वरूप देगी। अतएव विभिन्न प्रक्षेत्रों के प्रशासी विभागों का दायित्व होगा कि अनाबद्ध निधि में उपलब्ध निधि के सदुपयोग के कारगार व्यवस्था करे, चूंकि इस निधि के उपयोग के लिए समन्वय का दायित्व उपायुक्त को सौंपा गया है, अतएव उपायुक्त जिला में उपलब्ध प्रशासनिक/तकनीकी क्षमता का उपयोग अनाबद्ध निधि से ली जानेवाली योजनाओं के कार्यान्वयन में करेंगे।

4. प्रकृति :–

(क) किसी भी प्रक्षेत्र की आधारभूत संरचना की योजना को लिया जा सकता है।
(ख) स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप हो।
(ग) सामूहिक लाभ की योजना के निर्माण पर राशि व्यय होगी।
(घ) योजना लघु हो, जो उसी वित्तीय वर्ष में पूरी हो।

5. योजना चयनः–

(क) उपायुक्त का यह दायित्व होगा कि स्थानीय योजनाओं की उपयोगिता, उत्पादकता आदि का आकलन करके योजना का चयन किया जाए तथा सदस्य सचिव की हैसियत से जिला योजना समिति के माननीय सदस्यों को योजना चयन संबंधित नीतिमूलक मार्गदर्शन से अवगत करायेंगे तथा ऐसी योजनाएँ जो नीतिमूलक नहीं है को जिला योजना समिति से पारित नहीं करने का आग्रह करेंगे। आग्रह अमान्य होने की स्थिति में सरकार का ध्यान वैसी योजनाओं की ओर आकृष्ट करायेंगे, जो स्वीकृत नीति के प्रतिकूल हो, को इस पर योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) से अपेक्षित स्वीकृति/परामर्श प्राप्त करने के उपरांत ही योजना कार्यान्वयन पर कार्रवाई की जाएगी।

(ख) जिला योजना समिति योजना की नीतिगत स्वीकृति प्रदान करेगा तथा जिला योजना समिति की स्वीकृति के उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा किसी कार्य विभाग को योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी सौंपी जाएगी।

(ग) इस परिपत्र में निहित मार्गदर्शन के अनुकूल चयनित परियोजनाओं में जिला योजना समिति का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरांत सरकार की स्वीकृति अपेक्षित नहीं होगी।

(घ) जिले में उपलब्ध प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए कोई भी योजना जिला योजना के अन्तर्गत ली जाएगी। एक बड़ी योजना को टुकड़ा कर लेने की प्रवृति पर भी पूर्ण नियंत्रण रखने का दायित्व उपायुक्त का होगा।

(ङ) जिला योजना अनाबद्ध निधि अन्तर्गत ली जानेवाली परियोजनाओं/कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना ज्ञापांक 302 दिनांक 11.03.2015 में सन्निहित प्रावधान के अनुरूप की जाएगी। समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शन/अनुदेश के आलोक में उपायुक्त कार्रवाई करेंगे।

6. अपवाद :–

(क) राशि का उपयोग पारिश्रमिक भुगतान/वेतनादि एवं मानदेय पर नहीं किया जा सकेगा।

(ख) इस राशि का उपयोग वाहन क्रय, स्टेशनरी, कम्प्यूटर आदि स्थापना सम्बन्धी कार्यों पर नहीं किया जा सकेगा।

(ग) इस निधि का उपयोग किसी विशिष्ट व्यक्तियों के स्मारक/तोरण द्वार/मूर्ति अधिष्ठापन/कब्रिस्तान की घेराबन्दी/मन्दिरों एवं मूर्तियों की स्थापना आदि विषय पर नहीं किया जाय।

(घ) पुरानी योजनाओं की मरम्मति, रंगरोगण, सफाई जैसे आवर्त्तक प्रवृति के कार्य नहीं लिए जा सकेंगे।

7. योजनाओं स्वीकृति की प्रक्रिया :–

(क) माननीय मुख्यमंत्री तथा उस जिला के जिला योजना समिति के अध्यक्ष–सह–प्रभारी मंत्री) के भ्रमण के दौरान उनके द्वारा किए गए अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर जिला योजना कार्यालय द्वारा तकनीकी विभागों से संभाव्यवता एवं प्राक्कलन की मांग के आधार पर जिला योजना समिति के द्वारा योजनाएँ चयनित की जा सकेगी, जिसपर जिला योजना समिति की आगामी बैठक में घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

(ख) राज्य योजना अनाबद्ध निधि प्रत्येक जिला के लिए गठित जिला योजना समिति, जिसके अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री नामित हैं, को अनाबद्ध राशि उपलब्ध करायेगी एवं जिला योजना समिति Critical Gap को पहचान कर (अपवाद स्वरूप विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा अनुशंसित योजनाओं को छोड़कर) क्षेत्रीय संतुलन और बुनियादी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योजना की स्वीकृति प्रदान करेंगे। विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा अनुशंसित योजना को विशेष परिस्थिति में स्वीकृति प्रदान करेंगे।

(ग) परियोजनाओं की स्वीकृति देते समय जिले में उपलब्ध निधि को ध्यान में रखा जाए, अन्यथा निधि के अनुपात में अधिक संख्या में योजनाओं के कार्यारम्भ कर देने से योजनाएँ समय पर पूरी नहीं हो पाएगी। प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध राशि का उपयोग चालू परियोजनाओं को पूरा करने में किया जाए।
प्रथमतः जिला योजना अनाबद्ध निधि का उपयोग इसके अन्तर्गत अपूर्ण चालू योजनाओं को पूर्ण करने हेतु किया जाएगा। तत्पश्चात् बची शेष राशि का 115 प्रतिशत की अधिसीमा के अन्तर्गत रहते हुए नई योजनाओं का चयन किया जा सकेगा। ऐसी चयनित एवं जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का कार्यान्वयन अनाबद्ध निधि से किया जा सकेगा।

(घ) जिला योजना के माध्यम से छोटी–छोटी योजनाएँ ली जाए, जिन्हें एक वित्तीय वर्ष में आसानी से पूरा किया जा सके और योजनाओं का लाभ जल्द उपलब्ध हो सके।

(ङ) उपायुक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूर्णतः सक्षम रहेंगे और उनका यह निर्णय रहेगा कि किस कार्यान्वयन विभाग के माध्यम से चयनित योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा सके। योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रिया के तहत पारदर्शी तरीके से निर्धारित निविदा के माध्यम से ही कराया जाएगा।

(च) परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन की दृष्टि से जिले में उपलब्ध प्रशासनिक क्षमता एवं संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर चयनित प्रक्षेत्रों, उत्पादन, नियोजन, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एवं आधारिक संरचना के बीच उपलब्ध निधि का वितरण संतुलित रूप से किया जाए, अन्यथा परियोजनाओं को स्वीकृत समय सीमा एवं स्वीकृत राशि के अन्दर पूर्ण करना संभव नहीं हो पाएगा।

(छ) परियोजनाओं की स्वीकृति देते समय जिले में उपलब्ध निधि को ध्यान में रखा जाए, अन्यथा निधि के अनुपात में अधिक संख्याओं में योजनाओं के कार्यारम्भ कर देने से योजनाएँ समय पर पूरी नहीं हो पाएगी। प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध राशि का उपयोग चालू परियोजनाओं को पूरा करने में किया जाए, तत्पश्चात अवशेष राशि से ही नई योजनाओं के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी जाए।

(ङ) जिला योजना के लिए अनाबद्ध निधि, विकास कार्यक्रमों के लिए पूरक स्वरूप देगी। अतएव विभिन्न प्रक्षेत्रों के प्रशासी विभागों का दायित्व होगा कि अनाबद्ध निधि में उपलब्ध निधि के सदुपयोग के कारगार व्यवस्था करे, चूंकि इस निधि के उपयोग के लिए समन्वय का दायित्व उपायुक्त को सौंपा गया है, अतएव उपायुक्त जिला में उपलब्ध प्रशासनिक/तकनीकी क्षमता का उपयोग अनाबद्ध निधि से ली जानेवाली योजनाओं के कार्यान्वयन में करेंगे।

4. प्रकृति :–

(क) किसी भी प्रक्षेत्र की आधारभूत संरचना की योजना को लिया जा सकता है।
(ख) स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप हो।
(ग) सामूहिक लाभ की योजना के निर्माण पर राशि व्यय होगी।
(घ) योजना लघु हो, जो उसी वित्तीय वर्ष में पूरी हो।

5. योजना चयनः–

(क) उपायुक्त का यह दायित्व होगा कि स्थानीय योजनाओं की उपयोगिता, उत्पादकता आदि का आकलन करके योजना का चयन किया जाए तथा सदस्य सचिव की हैसियत से जिला योजना समिति के माननीय सदस्यों को योजना चयन संबंधित नीतिमूलक मार्गदर्शन से अवगत करायेंगे तथा ऐसी योजनाऐं जो नीतिमूलक नहीं है को जिला योजना समिति से पारित नहीं करने का आग्रह करेंगे। आग्रह अमान्य होने की स्थिति में सरकार का ध्यान वैसी योजनाओं की ओर आकृष्ट करायेंगे, जो स्वीकृत नीति के प्रतिकूल हो, को इस पर योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) से अपेक्षित स्वीकृति/परामर्श प्राप्त करने के उपरांत ही योजना कार्यान्वयन पर कार्रवाई की जाएगी।

(ख) जिला योजना समिति योजना की नीतिगत स्वीकृति प्रदान करेगा तथा जिला योजना समिति की स्वीकृति के उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा किसी कार्य विभाग को योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी सौंपी जाएगी।

(ग) इस परिपत्र में निहित मार्गदर्शन के अनुकूल चयनित परियोजनाओं में जिला योजना समिति का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरांत सरकार की स्वीकृति अपेक्षित नहीं होगी।

(घ) जिले में उपलब्ध प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए कोई भी योजना जिला योजना के अन्तर्गत ली जाएगी। एक बड़ी योजना को टुकड़ा कर लेने की प्रवृति पर भी पूर्ण नियंत्रण रखने का दायित्व उपायुक्त का होगा।

(ङ) जिला योजना अनाबद्ध निधि अन्तर्गत ली जानेवाली परियोजनाओं/कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना ज्ञापांक 302 दिनांक 11.03.2015 में सन्निहित प्रावधान के अनुरूप की जाएगी। समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शन/अनुदेश के आलोक में उपायुक्त कार्रवाई करेंगे।

6. अपवाद :–

(क) राशि का उपयोग पारिश्रमिक भुगतान/वेतनादि एवं मानदेय पर नहीं किया जा सकेगा।

(ख) इस राशि का उपयोग वाहन क्रय, स्टेशनरी, कम्प्यूटर आदि स्थापना सम्बन्धी कार्यों पर नहीं किया जा सकेगा।

(ज) जिला योजना समिति की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जाए। इसकी जिम्मेदारी उपायुक्त की होगी।

8. कार्यकारिणी समिति का स्वरूप :–

जिला योजना समिति की एक कार्यकारिणी समिति होगी, जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा:–

I. उपायुक्त – अध्यक्ष
II. उप विकास आयुक्त – उपाध्यक्ष
III. जिला योजना पदाधिकारी– सदस्य सचिव
IV. विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी–सदस्य
V. जिला स्तरीय अभियंत्रण इकाई/ कार्यालय के कार्यपालक अभियंता – सदस्य

यह कार्यकारिणी समिति जिला योजना के सूत्रीकरण, कार्यान्वयन, अनुश्रवण आदि का कार्य करेगी। उपायुक्त इस समिति को अधिक कार्यशील बनायेंगे ताकि निर्गत मार्गदर्शन सिद्धान्तों के आलोक में उपयोगी जिला योजना तैयार की जा सके।

जिला स्तर पर मनरेगा, 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत योजना बनाओ अभियान आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से चिन्हित परियोजनाओं में से वैसी सामुदायिक आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाएँ, जो विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत कार्यान्वित नहीं की जा सकती है, उन्हें अनाबद्ध निधि से कार्यान्वित किए जाने के उद्देश्य से कार्यकारिणी समिति द्वारा सूचीबद्ध किया जा सकेगा। कार्यकारिणी समिति यथा उपयुक्त विवेचना के उपरान्त अनुमान्य परियोजनाओं को अनाबद्ध निधि के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने पर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु जिला योजना समिति के समक्ष विचारार्थ उपस्थापित करेगी।

9. निधि :–

योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) द्वारा उपायुक्तों को राशि उपलब्ध करायी जाएगी, जिसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिले के उपायुक्त होंगे। राशि का व्यय राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश के आलोक में उपायुक्त/उनके द्वारा नामित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के माध्यम से किया जायेगा। योजनाओं का क्रियान्वयन जिलास्तर पर उपायुक्त द्वारा नियमानुकूल किसी एजेन्सी से कराया जा सकेगा।

10. नोडल कार्यालय

नोडल विभाग योजना–सह–वित्त विभाग होगा। जिला में नोडल पदाधिकारी जिला योजना पदाधिकारी होंगे। जिला स्तर पर नोडल कार्यालय जिला योजना कार्यालय होगा।

11. District Profile, Vision Document एवं वार्षिक कार्य योजना

(क) जिला योजना अनाबद्ध निधि की कार्य योजना बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला के द्वारा वित्तीय वर्ष विशेष के लिए इसके पूर्व के वित्तीय वर्ष के माह अक्टूबर–नवम्बर में जिला योजना कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक आहूत राष्ट्रीय एवं राज्य के विकास लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जिला का एक District Profile एवं पंचवर्षीय Vision Document तैयार

किया जाएगा, जिसमें उस जिले को राष्ट्रीय मानकों तक पहुँचने के लिए वर्षवार लक्ष्य निर्धारित रहेंगे। जिसके आधार पर वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाएगी।

(ख) इस वार्षिक कार्य योजना को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य विभागीय योजनाओं के माध्यम से क्या–क्या प्रयास किए जायेंगे, इसकी भी जानकारी एकत्र की जाएगी।

(ग) विभागीय प्रयासों के पश्चात् वार्षिक कार्य योजना की अभिप्राप्ति हेतु आवश्यक अधोसंरचनात्मक कार्यों का प्रारम्भिक चयन जिला योजना की कार्यकारिणी समिति द्वारा प्राथमिकता क्रमांक अंकित करते हुए किया जाएगा।

(घ) अनाबद्ध निधि के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु ऐसी समेकित योजनाओं की सूची प्राथमिकता क्रमांक के साथ जिला योजना समिति के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा।

(च) अनाबद्ध निधि से कार्यान्वित की जा सकनेवाली नई परियोजनाओं के वार्षिक वित्तीय लक्ष्य के अन्तर्गत रहते हुए जिला योजना समिति का इसपर अनुमोदन जिला योजना समिति से प्राप्त किया जाएगा।

12. **उपायुक्त एवं जिला योजना पदाधिकारी का दायित्वः–**

जिला योजना के लिए अनटायड फंड, विकास कार्यक्रमों के लिए, पूरक स्वरूप दी जा जा रही है। अतएव विभिन्न प्रक्षेत्रों के प्रशासी विभागों का दायित्व है कि अनटायड फंड में उपलब्ध निधि के सदुपयोग की कारगर व्यवस्था करें। चूंकि इस निधि के उपयोग के लिए समन्वय का दायित्व जिला पदाधिकारी को सौंपा गया है, अतएव उपायुक्त से आग्रह है कि जिलों में उपलब्ध प्रशासनिक /तकनीकी क्षमता का उपयोग अनटायड फंड से ली जानेवाली योजनाओं के कार्यान्वयन में करें।

जिलें में उपलब्ध कार्य विभागों के अभियंत्रण इकाईयों का चयन उपायुक्त द्वारा कार्य की आवश्यकता एवं तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार कार्य सौंपे जाने के बाद संबंधित अभियंत्रण इकाईयों द्वारा कार्य/परियोजना विशेष का कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से विधि मान्य तरीके से किया जाएगा, जिसमें उपायुक्त को जिला योजना पदाधिकारी आवश्यक सहयोग करेंगे।

वर्ष में कम से कम दो बार जिला योजना समिति की बैठक संभव हो सके, जिसके लिए उपायुक्त एवं जिला योजना पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

13. **अनुश्रवण :–**

(क) योजनाओं का अनुश्रवण जिला स्तर पर उपायुक्त करेंगे। प्रत्येक माह जिला योजना पदाधिकारी द्वारा योजनाओं की अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन उपायुक्त को देंगे, जिनके द्वारा मासिक बैठक में प्रगति की समीक्षा की जाएगी। जिला योजना पदाधिकारी शत प्रतिशत योजनाओं का निरीक्षण प्रत्येक माह करेंगे। उपायुक्त द्वारा Randomly किसी योजना का औचिक निरीक्षण किया जाएगा। प्रमण्डलीय आयुक्त प्रत्येक तीन माह पर किसी योजना का औचक निरीक्षण करेंगे। प्रत्येक जिला द्वारा विभाग को प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक एवं वित्तीय) प्रशासी विभाग को प्रेषित करेंगे।

(ख) राज्य स्तर पर विभाग में अनुश्रवण कोषांग गठन होगा, जो प्राप्त प्रतिवेदन को संकलित करेगें। राज्य स्तर पर प्रत्येक दो माह में योजना क्रियान्वयन के सम्बन्ध में बैठक होगी। समय–समय पर विभाग द्वारा योजनाओं का भौतिक अनुश्रवण भी किया जाएगा।

14. बैठकः–

जिला योजना समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक मासिक रुप से आयोजित की जाएगी। जिला योजना समिति की बैठक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम दो बार आयोजित करना अनिवार्य होगा।

15. **योजनाओं का संधारण एवं रख–रखाव :**

(क) योजना पूर्ण होने के सम्बन्ध में जिला योजना पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर उपायुक्त के द्वारा विभाग को पूर्ण होने की सूचना उपलब्ध करायी जाएगी।

(ख) योजना को पूर्ण होने के पश्चात्, उसके संधारण का दायित्व संबंधित पंचायत/नगर निकाय/पंचायत समिति का होगा। उपायुक्त से अपेक्षा है कि पूर्ण की गई योजनाओं के संबंध में पूर्ण सूचना संबंधित निकायों के एसेट पंजी में दर्ज करान सुनिश्चित करेंगे, ताकि उनके द्वारा इन योजनाओं के समुचित संधारण हेतु व्यवस्था की जा सके।

16. **राशि का आवंटन :–**

योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) द्वारा राशि का उपवांटन जिलों के बीच उनकी जनसंख्या एवं पिछड़ेपन के आधार पर करेगा।

17. उक्त मार्गदर्शिका पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 03.05.2016 को सम्पन्न हुई बैठक में मद सं0–3 के तहत स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश : **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।**

ह0/–
(अमित खरे)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–उ0स0/वि0– 20/2012 852/यो0 राँची/दिनांक 12/05/16

प्रतिलिपिः– माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सदस्य, राजस्व पर्षद/महानिदेशक, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महालेखाकार, झारखण्ड/सभी उपायुक्त/सभी जिला योजना पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.5.2016

अपर मुख्य सचिव

(458)

श्री मनीष जायसवाल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–13 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष–2007 में राज्य सरकार को केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय विधि आयोग की 197 वीं प्रतिवेदन उपलब्ध कराई गई थी, जिसके अन्तर्गत सरकार को राज्य में लोक अभियोजक तथा अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति सहित नियमित सेवा के सहायक लोक अभियोजक को प्रोन्नति देने से संबंधित मार्गदर्शन दिया गया है ;	स्वीकारात्मक। विधि आयोग का 197वाँ प्रतिवेदन के आलोक में केन्द्र सरकार द्वारा लोक अभियोजकों के नियुक्ति/प्रोन्नति पर राज्य सरकार का मंतव्य मांगा गया था। यह कोई नियमावली नहीं है। अतएव उक्त प्रतिवेदन के आधार पर नियुक्ति/प्रोन्नति की कार्रवाई नहीं किया जा सकता है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित प्रतिवेदन को संबंधित पदाधिकारियों द्वारा दबवाकर वर्ष–2011 में राज्य अभियोजन सेवा शर्तें एवं नियुक्ति नियमावली का गठन कर राज्य में Cr.P.C धारा 24(4) अन्तर्गत अधिवक्ता वर्ग से लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक जैसे संवैधानिक पद पर अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों के लिए चिन्हित कर दी गई जबकि बिहार में उक्त सेवा संवर्ग का पदनाम सहायक, अनुमण्डल एवं जिला अभियोजन पदाधिकारी नाम से चिन्हित है ;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत गठित झारखण्ड अभियोजन सेवा नियमावली, 2011 के तहत झारखण्ड अभियोजन सेवा का गठन किया गया है झारखण्ड अभियोजन सेवा का मूल पद सहायक लोक अभियोजक है जिसपर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति की जाती है। अपर लोक अभियोजक एवं लोक अभियोजक का पद झारखण्ड अभियोजन सेवा का प्रोन्नति का पद है। सहायक लोक अभियोजक के पद से अपर लोक अभियोजक के पद पर एवं अपर लोक अभियोजक के पद से लोक अभियोजक के पद पर प्रोन्नति दी जाती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–24 (6) में प्रावधान है कि राज्य में अभियोजन पदाधिकारियों की नियमित संवर्ग रहने की स्थिति में लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक के पद पर नियुक्ति केवल अभियोजन पदाधिकारियों के संवर्ग से ही की जायेगी। इसलिए लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक के पदों पर नियुक्ति अन्य स्रोतों से करने का प्रश्न नहीं उठता है।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य में 19 फरवरी, 2018 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 अंतर्गत **The Jharkhand Law officer (Engagement) Rules, 2018** अधिसूचित की गई है जिसके धारा संख्या–05 में स्पष्ट उल्लेखित है कि राज्य के व्यवहार न्यायालयों में लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक एवं विशेष लोक अभियोजक सहित कई अन्य पदों पर अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिये निर्धारित है ;	स्वीकारात्मक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 को संदर्भित करते हुए दिनांक–16.02.2018 को विधि विभाग द्वारा **"The Jharkhand Law officers (Engagement) Rules, 2018"** गठित किया गया है, जो कि अनुबंध पर नियुक्ति से संबंधित है न कि नियमित नियुक्ति से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 में नियुक्ति एवं शर्तों का प्रावधान निहित है। ऐसी परिस्थिति में विधि विभाग, झारखण्ड द्वारा अधिसूचित **The Jharkhand Law officers (Engagement) Rules, 2018** भारतीय संविधान, दण्ड प्रक्रिया संहिता में निहित प्रावधानों एवं अभियोजन सेवा नियमावली–2011 के प्रावधानों के प्रतिकूल है, जो अभियोजन सेवा नियमावली–2011 द्वारा प्रावधानित अभियोजन सेवा संवर्ग के मूल पद सहायक लोक अभियोजक से अपर लोक अभियोजक एवं तत्पश्चात् लोक अभियोजक के पद पर प्रोन्नति द्वारा भरे जाने के प्रावधान पर अधिभावी **(Overriding Effect)** नहीं रखता है। विधि का यह स्थापित नियम है कि राज्य द्वारा गठित कोई नियमावली या विधान जो केन्द्रीय विधि से असंगत हो उस सीमा तक विधि मान्य नहीं होगा।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड 01 व 02 में वर्णित मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराते हुए खण्ड–03 में वर्णित **Rules** का अनुपालन करने का विचार रखती है, हां, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	लागू नहीं होता है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–06/वि०स०–03/2021–1234/ राँची, दिनांक– 13/03/2021ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–455, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

F:\Sandeep 2017\Sec 7\Sandeep Vidhansabha\Chandan B\Questions (Budget) 21.doc P-65

459

श्री जयप्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–59 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गृहरक्षक संख्या–11279 संतोष कुमार महतो का प्रतिनियोजन दामोदर घाटी निगम कोनार डैम में माह मार्च 2014 में जिला समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी हजारीबाग द्वारा की गई थी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि दिनांक–23.03.2014 को ड्यूटी के दौरान श्री संतोष कुमार महतो की मृत्यु कार्यस्थल में हो गई है, जिसका अनुग्रह राशि का भुगतान आज तक मृतक आश्रितों को नही दी गई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु की तिथि–01.04.2014 अंकित है।
3	क्या यह बात सही है कि आकस्मिक मृतक गृहरक्षक को अनुग्रह राशि भुगतान हेतु उप मुख्य अभियन्ता (अ०) 1 परियोजना प्रधान दा०घा०नि० कोनार डैम द्वारा अपने पत्रांक–DCE/KNR/5-8-189, दिनांक–20.05.2020 को अपर सचिव दा०घा०नि० सचिवालय विभाग डी०वी०सी० टावर्स, वी०आई०पी० रोड, कोलकाता को कर चुके है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय, हजारीबाग के पत्रांक–1024, दिनांक–05.12.2016 के द्वारा अपर सचिव, दा०घा०नि०, डी०भी०सी० टावर्स, वी०आई० पी० रोड, कोलकाता को संतोष कुमार महतो के आश्रित को अनुग्रह अनुदान राशि 2,00,000 के भुगतान हेतु अनुरोध किया गया है। पुनः जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय, हजारीबाग के पत्रांक–1403, दिनांक–28.09.2019 द्वारा कार्यपालक अभियंता (अ०) टी०को०प्र०दा० घा०नि० कोनार डैम, हजारीबाग से संतोष कुमार महतो के आश्रित को अनुग्रह अनुदान की राशि 2,00,000 के भुगतान यथाशीघ्र करने की अनुशंसा की गयी है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मृतक गृह रक्षक संतोष कुमार महतो सं०–11279 के आश्रित को अविलम्ब अनुग्रह राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मृत गृह रक्षक–11279 संतोष कुमार महतो की प्रतिनियुक्ति डी०भी०सी०, कोनार डैम, हजारीबाग में भुगतान के आधार पर की गई थी। झारखण्ड गृह रक्षक (स्वयंसेवक) नियमावली, 2014 की कंडिका–28(ii) एवं गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का पत्र सं०–3397, दिनांक–27.06.2019 के प्रावधानानुसार मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान संबंधित विभाग/संगठन के स्तर से किया जाना है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र सं० नं०–VI 14021/41/97 DGCD, दिनांक–28.05.1997 के क्रम में महानिरीक्षक झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय, राँची के पत्रांक–311, दिनांक–14.02.2008 के आलोक में डी०वी०सी० कोनार डैम, हजारीबाग से मृतक संतोष कुमार महतो के आश्रित को अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान करने हेतु निदेशित किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–07/वि०स० (बजट) सत्र–106/2021(अंश)–1238/राँची, दिनांक– 15/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1036, दिनांक–08.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

F:\Sandeep 2017\Sec-7\Sandeep Vidhansabha\Chandan R\Questions (Budget) 21.doc P-15

460

श्री अमित कुमार मण्डल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का0 16 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि कार्मिक विभाग द्वारा 7, 8, 9 एवं 10वीं JPSC परीक्षा 2021 विज्ञापन सं0–01/2021 के माध्यम से प्रकाशित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–एक में वर्णित नये नियमावली में अगर आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी जिसने उम्र सीमा एवं अवसर सीमा का लाभ नहीं लिया हो और वे अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ मार्क्स के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त किया है, तो वैसी परिस्थिति में उस आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अनारक्षित (जेनरल) श्रेणी में स्थानांतरित (बदलाव) का कोई प्रावधान नहीं है;	अस्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना संख्या 162 दिनांक 08.01.2021 द्वारा अधिसूचित The Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021 में आवश्यक संशोधन करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 804 दिनांक 05.02.2021 द्वारा The Jharkhand Combined Civil Services Examination (Ist Amendment) Rules, 2021 निर्गत किया गया है, जिसके नियम 17(ii) में संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षाफल के संबंध में निम्नवत् प्रावधान है– "The adequate number of candidates to be admitted to the Main Examination will be approximately 15 (fifteen) times the total number of advertised vacancies to be filled in the year of the various Services and posts provided they are otherwise eligible but in the said range all those candidates irrespective of category who secure the same percentage of marks as may be fixed by the Commission for any lowest range will be admitted to the Main Examination. Provided further that if adequate number of candidates belonging to the Scheduled Caste/Scheduled Tribes/ Extremely Backward Classes (Annexure-I)/ Backward Classes (Annexure-II)/ Economically Weaker Section are not available amongst the candidates to be declared qualified for admission to the Main Examination, the Commission shall reduce the cut off marks for them till adequate number of candidates belonging to these categories are declared qualified for the Main Examination but the reduced cut off marks shall not be less than the minimum marks mentioned in sub-rule (i)." उपरोक्त नियमावली के नियम 19(i) के परन्तुक में आयोग के द्वारा की जाने वाली अनुशंसा के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रावधान है– " Provided that the candidates belonging to the

		Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Extremely Backward Classes (Annexure-I), Backward Classes (Annexure-II) and Economically Weaker Section who have not availed themselves of any of the concessions or relaxations in the eligibility or the selection criteria, at any stage of the examination and who after taking into account the general qualifying standards are found fit for recommendation by the Commission shall not be recommended against the vacancies reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Extremely Backward Classes (Annexure-I), Backward Classes (Annexure-II) and Economically Weaker Section." 19(i) के अनुसार इस प्रकार यदि किसी भी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी stage पर (प्रारम्भिक परीक्षा सहित) किसी भी relaxation का लाभ नहीं लिया हो तब उसे वैसे अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में अनुशंसित करने का प्रावधान है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार JPSC की खण्ड–एक में वर्णित परीक्षा को रद्द करते हुए नये नियमावली जिसमें आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तुलना में कट ऑफ से ज्यादा अंक प्राप्त किया है, उनके प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम सामान्य वर्ग में करने की मंशा रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कण्डिका 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–14/2021 का0 1537 /राँची दिनांक– 10 मार्च, 2021

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 998 दिनांक 05.03.2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/21

(राज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

डा0 कुशवाहा शशि भूषण मेहता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–55 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है, कि पूरे पलामू प्रमंडल में आए दिन हाथियों के उत्पात से ग्रामीण जनता आर्थिक नुकसान के साथ–साथ जान–माल का नुकसान उठा रही है ;	हाथी लम्बी दूरी तक गमन करने वाला वन्यप्राणी है। इसके आवागमन के क्षेत्रों में मानव–हाथी द्वंद की सम्भावना बनी रहती है, जिसके कारण जान–माल का नुकसान भी होता है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नियमानुसार मुआवजा का भुगतान यथाशीघ्र किया जाता है।
2– क्या यह बात सही है, कि पाँकी प्रखण्ड अन्तर्गत रतनपुर गाँव निवासी स्व0 फुला देवी की मृत्यु हाथी द्वारा कुचल देने से हो गई, इसी घटना में उसके पति बासुदेव मोची का हाथ टूट जाने से बुरी तरह घायल हो गया, जिसमें फुला देवी की मृत्यु पर सरकारी प्रावधान के अनुसार 4,00,000 (चार लाख) रूपये का मुआवजा आज तक नहीं मिल पाया है एवं उसके पति को मात्र 30,000 (तीस हजार) रूपये मुआवजा स्वरूप मिले जबकि उक्त गरीब व्यक्ति को इससे कहीं ज्यादा खर्च स्वयं वहन करना पड़ा जिस कारण आज भी ईलाज के लिए दर–दर भटक रहा है ;	मृतक फुला देवी के आश्रित श्री बासुदेव मोची को कुल–4,00,000/–रू0 एवं घायल श्री बासुदेव मोची को 1,00,000/–रू0 भुगतान किया जा चुका है।
3–क्या यह बात सही है, कि पाँकी प्रखण्ड अन्तर्गत केकरगढ़ पंचायत के ग्राम जसपुर निवासी राजेश सिंह एवं ग्राम रानादह निवासी राजमोहन बरहिया का घर हाथियों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया तथा खपरमंडा में भैंस तथा तीन बकरीयों को मार दिया गया, परन्तु विभागीय उदासीनता के कारण आज तक न तो भौतिक निरीक्षण किया गया और न ही क्षति का आकलन किया गया जिस कारण आज तक मुआवजा का भुगतान नहीं हो पाया है ;	पशु के मृत्यु के मामले में मुआवजा भुगतान का आदेश निर्गत किया जा चुका है। शेष क्षति के मामले में अंचल स्तर से सत्यापन की औपचारिकता पूरी होने के उपरांत भुगतान कर दिया जायेगा।
4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त भुक्तभोगीयों को सरकारी प्रावधान के अनुसार उचित मुआवजा दिलाने एवं घायल व्यक्ति के समुचित ईलाज की व्यवस्था करने के साथ–साथ हाथियों से ग्रामीण नागरिकों के सुरक्षा करने की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय अधिसूचना के आलोक में मानव–हाथी द्वंद की क्षति का भुगतान किया जाता है। मानव–हाथी द्वंद के रोकथाम के लिए वन सुरक्षा समिति को पटाखा, मशाल, किरासन तेल इत्यादि हेतु खाते में राशि दी जाती है। वन कर्मियों द्वारा इलाकों में जनजागरण अभियान चलाकर हाथियों को वनों की तरफ मोड़ने का कार्य चलाया जाता है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–49/2021– 951 व0प0, राँची, दिनांक– 14/03/2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–997 दिनांक–05.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14-3-21

(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

F/VIDHAN SABHA-2021 (Mahesh)

डॉ० इरफान अंसारी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–45 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि जामताड़ा जिला के सभी थानों में लगभग 132 मुकदमा दर्ज है, जो वर्षों से न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि नियमानुसार 90 दिनों में ही आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाना है, फलस्वरूप मुकदमों में फंसे लोग परेशान हो रहे है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। थाना में काण्ड प्रतिवेदित करने के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर ससमय आरोप पत्र समर्पित किया जाता है। वैश्विक महामारी covid-19 कोरोना काल में लॉक डाउन के कारण कुछ दिन माननीय न्यायालय बंद था जिस कारण न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित नहीं हो पा रहा था। न्यायालय कार्य प्रारंभ होने के उपरांत काण्ड में कार्रवाई पूर्ण होने के फलस्वरूप आरोप पत्र ससमय समर्पित किया जाता है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सबूत के अभाव में ऐसे मुकदमे को समाप्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गई है, वर्त्तमान में सरकार के समक्ष ऐसा कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10 / वि०स०–711 / 2021–1504 / राँची, दिनांक– 13/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–834 / वि०स०, दिनांक–03.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(463)

श्री दीपक बिरूआ, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–म–60 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त पं० सिंहभूम चाईबासा द्वारा सदर कस्तुरबा विद्यालय में फुड प्वाइजनिंग मामले पर गठित जाँच समिति के प्रतिवेदन में श्री श्यामा जी प्रसाद, आपूर्तिकर्त्ता को कस्तुरबा विद्यालयों में घटिया खाद्यान सामग्रियों की आपूर्ति करने और नकली शराब बेचने की पुष्टि की गई है ;	अस्वीकारात्मक। उपायुक्त, पं० सिंहभूम चाईबासा के ज्ञापांक–421/गो०, दिनांक–14.02.2020 के आलोक में कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय, सदर चाईबासा में स्वास्थ्य खराब होने की घटना की जाँच उप विकास आयुक्त, पं० सिंहभूम, चाईबासा की अध्यक्षता में गठित संयुक्त जाँच दल द्वारा किया गया (छायाप्रति संलग्न)। अंतिम जाँच प्रतिवेदन के अनुसार खाद्य सामग्री की जाँच राज्य खाद्य जाँच प्रयोगशाला, नामकुम, राँची द्वारा कराया गया, जिसमें आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्ति की गयी खाद्य सामग्री Sub-Standard प्रतिवेदित है। कच्ची खाद्य सामग्री के कारण Food Poisoning हुआ है, स्पष्ट नही होता है। अतः आपूर्तिकर्त्ता को Sub-Standard खाद्य सामग्री आपूर्ति के लिए वित्तीय दंड स्वरूप एक लाख रूपये 15 दिनों के अंदर विद्यालय स्वच्छता समिति के कोष में जमा करने का निदेश दिया गया है। श्री प्रसाद नामक व्यक्ति का इस काण्ड में संलिप्तता नहीं पायी गयी है।
2	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त, चाईबासा ने उक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री प्रसाद के विरुद्ध प्राथमिकता दर्ज कर कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है ;	अस्वीकारात्मक। उपर्युक्त कंडिका– 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
3	क्या यह बात सही है कि मुख्य आरोपी श्री प्रसाद अबतक पुलिस गिरफ्त से बाहर है ;	
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपायुक्त, चाईबासा को समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री प्रसाद को अविलम्ब गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका– 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स०(04)–12/2021–1254/ राँची, दिनांक– 15/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1139, दिनांक–08.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

463

श्री दीपक बिरूआ, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.03.2021 को सदन में पूछा जाने वाला
तारांकित प्रश्न संख्या ग–60 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त, प0 सिंहभूम, चाईबासा द्वारा सदर कस्तुरबा विद्यालय में फुड प्वाइजनिंग मामले पर गठित जाँच समिति के प्रतिवेदन में श्री श्याना जी प्रसाद, आपूर्तिकर्त्ता को कस्तुरबा विद्यालयों में घटिया खाद्यान सामग्रियों की आपूर्ति करने और नकली शराब बेचने की पुष्टि की गई है;	अस्वीकारात्मक (जाँच पत्र की छायाप्रति संलग्न)
2	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त, चाईबासा ने उक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री प्रसाद के विरूद्ध प्राथमिकता दर्ज कर कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है;	अस्वीकारात्मक

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,

ज्ञापांक–16/खाद्य (तारांकित)–13–01/2021–52(16) स्वा/राँची, दिनांक 13/03/2021।
प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1139 दिनांक–08.03.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

13/3/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–16/खाद्य (तारांकित)–13–01/2021–52(16) स्वा/राँची, दिनांक 13/03/2021।
प्रतिलिपि:–संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को उनके पत्रांक–1200 दिनांक–10.03.2021 के क्रम में सानुलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित।

13/3/21
सरकार के उप सचिव।

(6)

-: अंतिम संयुक्त जाँच प्रतिवेदन :-

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का संशोधित आदेश ज्ञापांक–421/गो०, दिनांक–14.02.2020 के आलोक में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, सदर चाईबासा में कुछ छात्राओं का स्वास्थ्य खराब होने की घटना का जाँच का निदेश प्राप्त है। उक्त के आलोक में संयुक्त जाँच दल द्वारा जाँच किया गया। अंतिम जाँच प्रतिवेदन निम्नवत् है :–

एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर से कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय, सदर चाईबासा के पानी के नमूना का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पीने के पानी में E.Coli पाया गया है।

खादय सामग्री की जाँच राज्य खाद्य जाँच प्रयोगशाला, नामकुम, राँची से कराया गया। जाँच प्रतिवेदनानुसार :–

- आटा–Substandard, सैम्पल में तीन कीड़ा पाया गया।
- इडली मेकिंग पाउडर–Substandard, सैम्पल में तीन कीड़ा पाया गया।
- चावल–Within norms, सैम्पल में तीन कीड़ा पाया गया।
- उल्टी के सैम्पल जाँच में, E. Coli तथा S. aureus पाया गया।
- पैखाना (Stool) के सैम्पल जाँच में, E. Coli पाया गया।

संयुक्त जाँच दल के सभी सदस्यों के समक्ष संबंधितों से बयान लिया गया, जिसके सार निम्नवत है :-

- सुश्री रश्मि होरो, गणित शिक्षिका द्वारा बयान दिया गया कि खादय सामग्रियों का सैम्पल भंडार गृह से लिया गया, जिससे खाना बनाया जाता है। जाँच में तीनों सैम्पल में कई कमियाँ पाई गई।
- वार्डेन सुश्री विमला बिरूली, पिता स्व० शिवनाथ बिरूली द्वारा बताया गया कि सामान्यतः खादय सामग्री की आपुर्ति प्रत्येक 15 दिनों में किया जाता है, परन्तु कभी–कभी जरूरत पड़ने पर इससे पहले भी लिया जाता है।
- वार्डेन द्वारा बताया गया कि 03 RO चल रहा है। किन्तु सैम्पल जाँच में भोजनालय के अन्दर लगा दोनों RO में E.Coli की मात्रा पाई गई है, जिससे प्रतीत होता है कि RO का फिल्टर साफ नहीं कराया गया है। अन्दर वाला दोनों RO नहीं है, बल्कि मात्र फिल्टर है।
- वार्डेन द्वारा बताया गया कि अन्य जिलों की तरह पश्चिमी सिंहभूम जिला में संकल्प के अनुसार Regular रसोईया नहीं है। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा मानदेय के आधार पर रसोईया रखा गया है।
- सुश्री ऐंचो कच्छप, पिता स्व० मंगा कच्छप, रसोईया तथा सुश्री रश्मि होरो, गणित शिक्षिका द्वारा बताया गया कि इडली पाउडर का सैम्पल जहाँ से लिया गया था, वह खादय सामग्री स्वच्छता अभियान के तहत फेकने वाला ड्राम से लिया गया है।
- रसोईया एवं शिक्षिकाओं द्वारा बताया गया कि छात्राओं के अभिभावक द्वारा भी कभी–कभी कुछ खाने की सामग्री बाहर से लाई जाती है।
- श्रीमती स्वपन रानी दास, शिक्षिका द्वारा बताया गया कि उन्होंने भी दिन में मात्र इडली और चटनी खाई थी, इसके अलावा कुछ नहीं खाई थी। इनकी भी तबीयत खराब हुई।

सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा चार कस्तूरबा विद्यालयों (सदर, टोन्टो, तांतनगर एवं मंझगाँव) में खादय सामग्री की आपूर्ति की जाती है। दिनांक–04.02.2020 को 3500 किलोग्राम चावल, 25 किलोग्राम सूजी एवं 200 किलोग्राम आटा, दिनांक 11.01.2020 को 200 किलोग्राम आटा एवं 100

किलोग्राम इडली बनाने का पावडर (चावल एवं उरद दाल का अलग–अलग) तथा दिनांक 13.01.2020 को 100 किलोग्राम इडली बनाने का पाउडर (चावल एवं उरद दाल का अलग–अलग) उपलब्ध कराया गया है। वे जुलाई 2018 से खादय सामग्री की आपूर्ति करते आ रहे हैं।

राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, झारखण्ड राँची के पत्रांक–966 दिनांक–06.06.2005 द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के स्थापना एवं संचालन का निदेश प्राप्त है। इसके कण्डिका 10 के अनुसार जिला स्तरीय अनुश्रवण–जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु जिला कार्यकारिणी सक्षम प्राधिकार होंगे एवं कण्डिका 11 के अनुसार विद्यालयों का निरीक्षण–जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के निरीक्षण के लिए सक्षम पदाधिकारी होंगे।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सदर चाईबासा के अनुश्रवण पंजी के अवलोकन से प्रतित होता है कि उक्त कण्डिका 10 एवं 11 का अनुपालन संबंधित पदाधिकारी द्वारा नही किया गया।

संयुक्त जाँच दल का सुझाव :–

- टंकी की सफाई प्रत्येक माह नियमित रूप से कराया जाय तथा इसकी पंजी संधारित की जाए।
- खादय सामग्री की आपूर्ति सप्ताह–सप्ताह कराई जाए, ताकि सामग्री का भंडारण एक सप्ताह से अधिक न हो, जिसकी पंजी संधारित की जाए।
- R.O की नियमित रूप से सफाई कराया जाए, जिसकी पंजी संधारित की जाए।
- खादय सामग्री को ड्रम पर ढक कर रखा जाए, कोई भी खादय सामग्री को खुला नहीं रखा जाए।
- खादय समग्रियों के रख–रखाव, साफ–सफाई में कस्तूरबा गांधी विद्यालय के कर्मियों द्वारा शिथिलता बरती गई है। भविष्य में इस तरह के घटना की पुनरावृति न हो, इसके लिए वित्तीय दण्ड स्वरूप सभी शिक्षिकाओं/कर्मियों/रसोईया का एक माह तथा वार्डेन का दो माह का वेतन/मानदेय के समतुल्य राशि संबंधित विद्यालय स्वच्छता समिति के कोष में जमा करने का आदेश दिया जा सकता है, जिस राशि से विद्यालय के भण्डारगृह एवं रसोईघर की मरम्मति तथा विद्यालय के रख–रखाव में व्यय की जा सके।
- खादय सामग्री की जाँच राज्य खाद्य जाँच प्रयोगशाला, नामकुम, रांची द्वारा कराया गया जिसमें आपूत्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्ति की गई खादय सामग्री Substandard प्रतिवेदित है। कच्ची खादय सामग्री के कारण विषाक्त भोजन (Food Poisoning) हुआ है, स्पष्ट नहीं होता है।

  अतः आपूत्तिकर्त्ता को Substandard खादय सामग्री आपूर्त्ति के वित्तीय दण्ड स्वरूप एक लाख रुपये 15 दिनों के अन्दर विद्यालय स्वच्छता समिति के कोष में जमा करें, जिस राशि से संबंधित विद्यालय के रख–रखाव तथा RO के क्रय पर व्यय किया जा सके।
- वार्डेन की अध्यक्षता में निगरानी समिति का गठन कराया जाए जिसमें Accountant तथा एक शिक्षिका होगी। भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना घटती है तो इसकी सारी जवाबदेही समिति की होगी। आपूत्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्त्ति की गई सामग्रियों की जाँच समिति द्वारा नियमित रूप से की जाएगी, यदि आपूत्तिकर्त्ता द्वारा मानक के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्त्ति नहीं की जाती है, तो उसे काली सूची में डालने की अनुशंसा करेगी।

- जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तथा प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी से कड़ा स्पष्टीकरण पूछा जाए कि उन्होंने कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निरीक्षण कब-कब किया/क्यों नहीं किया है? भविष्य में इस तरह की कोई घटना घटित होती है, तो सारी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी की होगी और इसके लिए उन पर दण्ड आरोपित किया जाएगा।
- पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत सभी आवासीय विद्यालय में तीन माह में कम से कम एक बार खाद्य निरीक्षक (Food Inspector) द्वारा खादय सामग्री, रसोईघर एवं भण्डारगृह का विस्तृत निरीक्षण कराया जाए।

20/02/20
विधायक प्रतिनिधि
लखबीर सिंह

20/02/2020
सांसद प्रतिनिधि
त्रिशानु राय

20/02/20
सांसद प्रतिनिधि
जितेन्द्र नाथ ओझा

20.2.20
डॉ० ए०के० लाल
चिकित्सा पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

20/02/20
निदेशक
DRDA, प० सिंहभूम, चाईबासा।

20/02/2020
अपर उपायुक्त
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।

20/02
उप विकास आयुक्त
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।

श्रीमती पुष्पा देवी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–52 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि पलामू जिले के छत्तरपुर को अनुमंडल बने 27 वर्ष (1994) होने को है फिर भी छत्तरपुर अनुमण्डल मुख्यालय में अभी तक मण्डल कारा नहीं है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि छत्तरपुर अनुमण्डल मुख्यालय क्षेत्र से गिरफ्तार अपराधी/उग्रवादी को कैदी के रूप में छत्तरपुर से 60–70 कि०मी० दूर केन्द्रीय कारा मेदनीनगर पलामू ले जाया जाता है, जिससे रास्ते में प्रशासन के ऊपर किसी अनहोनी का खतरा बना रहता है ;	अस्वीकारात्मक। छत्तरपुर अनुमण्डल मुख्यालय क्षेत्र से गिरफ्तार अपराधी/उग्रवादी को प्राप्त सशस्त्र बल की सुरक्षा में बंदियों को केन्द्रीय कारा, पलामू में प्रतिप्रेषित किया जाता है। अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छत्तरपुर अनुमण्डल मुख्यालय में एक मण्डल कारा स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सम्प्रति ऐसा प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–10/2021–....1505.../ राँची, दिनांक– 13/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–895, दिनांक–05.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

1465

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–म–53 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि 2020–21 में आरक्षी महानिदेशक ने जमशेदपुर के भालूबासा सार्वजनिक शौचालय तोड़कर उस पर घर बना लेने तथा सरकारी एवं टाटा लीज भूमि को कब्जा कर उसपर आलीशान मकान बनालेने की अपराधिक काण्ड की जाँच कर शीघ्र प्रतिवेदन देने का आदेश आरक्षी उप महानिरीक्षक (D.I.G.) कोल्हान को दिया था ;	स्वीकारात्मक।
2	यह बात सही है, कि आरक्षी उप महानिरीक्षक (D.I.G.) ने काण्ड की जाँच के लिए एक एस०आई०टी० गठित किया था और एस०आई०टी० ने काण्ड की जाँच पूरा कर लिया है, पर दोषियों पर कार्रवाई नहीं किया है ;	पुलिस उप–महानिरीक्षक, सिंहभूम (कोल्हान) क्षेत्र चाईबासा के कार्यालय ज्ञापांक–1554/गो0, दिनांक–13.08.2020 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, नगर जमशेदपुर को नोडल पदाधिकारी बनाते हुए जाँच हेतु एक एस0आई0टी0 का गठन किया। जाँच का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।
3	क्या यह बात सही है, कि एस०आई०टी० ने जाँच में राजस्व अधिकारियों की कोई सहायता नहीं ली गई है ;	जाँच का कार्रवाई पूर्ण करने के लिए राजस्व अधिकारियों की सहायता ली जायेगी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है, तो क्या सरकार एस०आई०टी० जाँच पर राजस्व अधिकारियों की सहायता लेकर जाँच को पूरा करने और अपराधिक काण्ड के दोषी व्यक्तियों पर दण्डनात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–11/2021–1348/ राँची, दिनांक– 15/03/2021ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–994, दिनांक–05.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

468

श्री अमित कुमार मण्डल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-15.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-योवि-03 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्ता-श्री अमित कुमार मण्डल, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार ने 9 लाख किसानों के ऋण माफी के लिए 2000 हजार करोड़ का बजट में प्रावधान किया है, लेकिन कृषि विभाग को मात्र 500 सौ करोड़ ही राशि प्राप्त हुई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ का आवंटन उपलब्ध है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के बैंकों ने 9 लाख किसानों में से मात्र 2 लाख किसानों का सत्यापित डेटा पोर्टल पर अपलोड किया है;	अस्वीकारात्मक। अबतक 394647 लाभुकों का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। यह एक सतत प्रक्रिया है एवं प्रतिदिन लाभुकों का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड-2 में वर्णित बैंकों की लापरवाही के कारण 2000 हजार करोड़ रुपये में मात्र 1000 हजार करोड़ ही खर्च हो पायेगा, शेष 1000 हजार करोड़ प्रत्यर्पित कर दिया जायेगा;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों के कर्ज माफी को 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख करने एवं 9 लाख किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपये तक कर्ज माफी का प्रावधान करने तथा शेष 8 लाख 60 हजार बचे किसानों को इस योजना में शामिलित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वित्तीय वर्ष 2020-21 में मात्र Standard Loanee को ही ऋण माफी का लाभ दिया जाना है, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ०वि०स०(ता०)-13/2021 487 /कृ०, राँची, दिनांक-12.03.2021

प्रतिलिपि- श्री हरेन्द्र, उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-832 दिनांक-03.03.2021 के प्रसंग में (125 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/03/2021
(चंदि हेम्बरम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ०वि०स०(ता०)-13/2021 487 /कृ०, राँची, दिनांक-12.03.2021

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभारीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/03/2021
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ०वि०स०(ता०)-13/2021 497 /कृ०, राँची, दिनांक-12.03.2021

प्रतिलिपि- श्री अमरेश कुमार चौधरी, अवर सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक-34 दिनांक-05.03.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/03/2021
सरकार के अवर सचिव।

467

श्री मनीष जायसवाल, स०वि०स० द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में दिनांक 15.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं.– का.–08 में अनुबंध/संविदा से संबंधित उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

अल्प सूचित प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि राज्य में राज्य गठन के लेकर अब तक को–टर्मिनस (वाह्य सेवा) एवं अनुबंध/संविदा पर कई महत्वपूर्ण पदों पर लोग कार्यरत हैं, जिनकी सेवाकाल में मृत्यु होने पर सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को कोई लाभ नहीं दी जाती है;	राज्य में माननीय मंत्री /राज्य मंत्री / दर्जा प्राप्त मंत्री इत्यादि के निजी स्थापना में माननीय मंत्रीगण की अनुशंसा पर को–टर्मिनस के आधार पर बाह्य व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है । ये नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी होती है तथा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किये जाने की शर्त पर होती है । पदधारक का कार्यकाल भी माननीय मंत्री की इच्छा पर अथवा उनके कार्यकाल तक सिमित रहता है । राज्य अंतर्गत विभिन्न विभागों/कार्यालयों में अनुबंध/ संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को सेवाकाल में मृत्यु होने पर सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को कोई लाभ नहीं दी जाती है।
(2.) क्या यह बात सही है कि सरकार राज्य में अनुबंध/संविदा पर कार्यरत कर्मियों से संबंधित सिर्फ सेवाशर्त्त और मानदेय इत्यादि की एकरूपता हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन सितम्बर, 2020 में की गई है, जिस पर अब तक कोई निर्णय नहीं हुई है;	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या 4011 दिनांक 18.08.2020 द्वारा राज्य सरकार अंतर्गत विभिन्न विभागों में अनुबंध/संविदा पर कार्यरत कर्मियों द्वारा उनकी सेवा शर्तों में सुधार तथा नियमितीकरण के संबंध में उठाई जा रही मांग की समीक्षा हेतु विकास आयुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
(3.) क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित समिति के गठन के पश्चात कई विभागों जैसे– स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, कारा तथा नगर विकास विभाग सहित कई अन्य विभागों में अनुबंध/संविदा पर नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन निकाल कर नियुक्ति की गई है तथा की जा रही है।	अनुबंध / संविदा पर नियुक्ति के संबंध में कोई रोक नहीं लगाई गई है।
(4.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में राज्य में नियुक्ति को टर्मिनस (वाह्य सेवा) पद सहित अनुबंध/संविदा पदों पर नियुक्ति कर्मियों के सेवा शर्त्त से संबंधित नियमावली के गठन में उक्त कर्मियों का सेवाकाल में मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार के आश्रितों को नियमित सेवा कर्मियों के तर्ज पर सभी लाभ देने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकारी कर्मियों का सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी, पारिवारिक पेंशन, मृत्यु उपादान तथा अव्यहृत (un-utilised) उपार्जित अवकाश के बदले नकद राशि का भुगतान का लाभ नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक के मामले में दिया जाता है ।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक : 10/वि.स. (4)–15/2021....820/वि0 रॉंची/दिनांक:....12.03.2021।

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रॉंची के ज्ञाप संख्या 443/वि०स०, रॉंची, दिनांक 26.02.2021 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.3.'21
(साधना सिन्हा)
संयुक्त सचिव ।

(468)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–50 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला में पदस्थापित जवानों के आवागमन एवं ठहराव के लिए पुलिस केन्द्र धनबाद में समुचित पुलिस बैरक और आवास की व्यवस्था नहीं है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। पुलिस केन्द्र, धनबाद में जवानों के लिए 11 पुलिस बैरक (कुल 515 बेड क्षमता), 01 महिला बैरक, 12 यू०एस० क्वार्टर, 81 एल०एस० क्वार्टर एवं 65 पुराने आवास है।
2	क्या यह बात सही है कि पुलिस केंद्र धनबाद में बैरक और आवास की कमी होने के कारण जिले में तैनात जवानों खासकर महिला जवानों को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक। धनबाद जिला में कुल 165 महिला जवान पदस्थापित हैं। पुलिस केन्द्र धनबाद में महिला जवान के लिए 01 बैरक (50 बेड क्षमता), 02 यू०एस० क्वार्टर तथा 43 एल०एस० क्वार्टर उपलब्ध है।
3	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार धनबाद में पदस्थापित महिला/पुरुष जवानों की संख्या बल को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के आवश्यक सुविधाओं से लैस पुलिस बैरक व आवास का निर्माण कराने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य योजना मद में निधि की उपलब्धता के अनुसार पुलिस केन्द्र धनबाद में पुरूष बैरक, महिला बैरक, यू०एस० क्वार्टर तथा एल०एस० क्वार्टर के निर्माण के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स० (ता०)/807/2021–1239 /   राँची, दिनांक– 15/03/2021ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–890, दिनांक–03.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

469

श्री वैद्यनाथ राम, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या:– का०–22 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
2	3
क्या यह बात सही है कि राज्य के सचिवालय सेवा सम्वर्ग के सहायक को संयुक्त सचिव पद तक कुल चार प्रोन्नति दी जाती है।	स्वीकारात्मक।
क्या यह बात सही है कि इस पदाधिकारियों को नियमानुकूल रोस्टर के अनुसार प्रोन्नति नहीं दी जा रही है।	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड सचिवालय सेवा के तहत सम्वर्गीय प्रोन्नति के पदों पर झारखण्ड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 में निर्धारित सेवा शर्तों के साथ राज्य सेवी सम्वर्ग के लिए प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि सम्बन्धी विभागीय संकल्प संख्या–3286 दिनांक–04.04.2014 के अतिरिक्त विभागीय संकल्प संख्या–10483 दिनांक–24.10.2014 एवं 2621 दिनांक–20.03.2015 एवं स्वीकृत पदों के विरूद्ध अनुमोदित रोस्टर क्लीयरेन्स के आलोक में प्रशाखा पदाधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव एवं संयुक्त सचिव के पदों पर प्रोन्नति प्रदान की जाती है। उक्त प्रोन्नति के पदों का आरक्षण शाखा के माध्यम से अनुमोदित आरक्षण रोस्टर क्लीयरेन्स के अनुसार आरक्षण कोटिवार कर्णांकित पदों का विवरण निम्नवत् है :–

पदनाम	आरक्षण कोटिवार कर्णांकित पदों की संख्या			
	अनारक्षित	अ०ज०ज०जा०	अ०ज०जा०	कुल संख्या
प्रशाखा पदाधिकारी	421	170	66	657
अवर सचिव	210	85	33	328
उप सचिव	35	14	5	54
संयुक्त सचिव	15	6	2	23

यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सचिवालय सेवा सम्वर्ग के सहायक को संयुक्त सचिव पद तक नियमानुकूल रोस्टर के अनुसार प्रोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रोन्नति हेतु निर्धारित मापदण्ड एवं उपर्युक्त अनुमोदित रोस्टर क्लीयरेन्स के आलोक में मृत्यु/सेवानिवृत्ति/उच्चतर पदों पर प्रोन्नति के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के विरूद्ध झारखण्ड सचिवालय सेवा के सम्वर्गीय पदों पर समय–समय पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने की कार्रवाई की जाती है। वर्तमान में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–6752 दिनांक–24.12.2020 द्वारा राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर रोक लगाये जाने के कारण झारखण्ड सचिवालय सेवा के विभिन्न सम्वर्गीय पदों पर प्रोन्नति की कार्रवाई अवरूद्ध है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक :– 7/संसदीय कार्य–901/2021 का 1563 / राँची, दिनांक 10-03-2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–1142 दिनांक–08.03.2021 के प्रसंग में 250 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/21

सरकार के अवर सचिव।

(470)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–51 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला अन्तर्गत झरिया तथा जोरापोखर थाना के पुराने भवन में स्वागत कक्ष, प्रतीक्षालय, थानेदार कक्ष, एस०आई० व ए०एस०आई० पदाधिकारियों के लिए अनुसंधान कक्ष, ओ०डी० रूम, सिरिस्ता मीटिंग हॉल, कम्प्यूटर रूम, महिला–पुरुष अलग–अलग पुछताछ कक्ष/हाजत पुलिस पदाधिकारियों के लिए रेस्ट रूम थाना में तैनात जवानों के लिये कमरा, बाथरूम तथा किचेन की समुचित व्यवस्था नहीं है ;	स्वीकारात्मक। झरिया तथा जोरापोखर थाना भवन पुराना है। पुराना भवन में थानेदार कक्ष, प्रतीक्षालय, सिरिस्ता, हाजत, थाना में तैनात जवानों के लिए कमरा उपलब्ध है। हालांकि नये भवन की तुलना में यह सुविधा कम है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बेहतर पुलिसिंग के लिए झरिया तथा जोरापोखर थाना में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मॉडल थाना के रूप में निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	झरिया एवं जोरापोखर थाना हेतु भूमि उपलब्ध है। आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य योजना में निधि की उपलब्धता होने पर मॉडल थाना के निर्माण के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स० (ता०)/808/2021–1235/ राँची, दिनांक– 14/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–891, दिनांक–03.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(471)

श्री नवीन जायसवाल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–35 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
		आंशिक स्वीकारात्मक।
1	क्या यह बात सही है, कि वर्ष 2015 में विज्ञापन संख्या–04/2015 के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा कुल 7272 आरक्षी बहाली पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। जिसमें कुल–4792 सफल अभ्यार्थियों की सभी नियुक्ति प्रक्रिया के पश्चात् प्रथम मेधा सूची तैयार कर उन्हें नियुक्ति कर दिया गया है। उक्त विज्ञापन के कंडिका–07 में ये दर्शाया गया है कि शेष सफल अभ्यार्थियों के लिए एक समेकित मेधा सूची जारी की जायेगी ;	विज्ञापन सं०– 04/2015 के विज्ञापित झारखण्ड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा–2015 में 7272 रिक्तियाँ निकाली गई थी। विज्ञापन की कंडिका–13 (vii) में स्पष्ट है कि "मुख्य परीक्षा के मेधा सूची के आधार पर शारीरिक जाँच परीक्षा के उत्तीर्ण/ योग्य अभ्यर्थियों का वर्गवार तथा जिलावार तथा झारखण्ड सशस्त्र वाहिनी के लिए अलग–अलग मेधा सूची बनायी जायेगी एवं रिक्तियों के अनुसार आरक्षण कोटिवार चयन सूची गठित की जायेगी। इसके पश्चात् सभी जिलों एवं वाहिनी की शेष मेधा सूची के अभ्यर्थियों की एक समेकित मेधा सूची बनायी जायेगी।" साथ ही झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग विनियमावली–2011 के अध्याय–2 के नियम–12 में यह प्रावधान अंकित है कि आयोग द्वारा संबंधित विभाग को अधियाचना के आलोक में नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेज दिये जाने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा। परन्तु अपिहार्य कारणों से (यथा प्रशासी विभाग द्वारा अधियाचना वापस किये जाने/न्यायालय के न्यायादेशों के अनुपालन की स्थिति उत्पन्न होने /राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय के कारण उत्पन्न स्थिति) आयोग की अनुशंसा में यथोचित संशोधन किया जा सकेगा।' उक्त नियम एवं W.P. (S) 3239/2017 मिथुन कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–11.08.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विज्ञापन में निहित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले कुल–4883 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया गया।
		अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि लगभग 8000 अभ्यार्थियों की सभी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रमाण–पत्र की सत्यापन के बावजूद अभी तक 2480 रिक्त पदों के लिए दूसरी मेधा सूची तैयार नहीं किया गया। दूसरी मेधा सूची के इन्तजार में बहुत सारे अभ्यार्थियों की उम्र सीमा समाप्त हो गई है, जिस कारण अभ्यार्थियों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है ;	विज्ञापन में निहित विभिन्न अर्हताओं को पूर्ण करने वाले कुल–4883 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया गया। सम्प्रति द्वितीय मेधा सूची जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार 2480 रिक्त पद हेतु सफल अभ्यार्थियों के लिए दूसरी मेधा सूची तैयार कर नियुक्त करने का विचार रखती है, हां, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–05.../2021–1506...../ राँची, दिनांक– 13/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–448, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।